न्यायालय तहसीलदार रामगंजमंडी (कोटा)

प्रकरण सं. 8/2018

धुलिचन्द पुत्र रामसुख जाति बैरवा नि० कालल खेड़ी

बनाम

चाँदमल पुत्र देवीलाल जाति कुमावत नि० कोलर तह० रामगंजमंडी

अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 30-10-2018

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी धुलिचन्द पुत्र रामसुख बैरवा नि० कालल खेड़ी ने इस आशय का प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है कि मोड़मंडी में स्वयं की खाते की भूमि ख.नं. 89 की रकबा 0.54 हे. का० II स्थित है। जिसे 4 सालों में अप्रार्थी को काश्त करने पाँति पर दी थी लेकिन अब अप्रार्थी के बदनियत आने से पाँति भी नहीं दी जा रही है और इस वर्ष कब्जा भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिये निवेदन किया है कि उक्त भूमि अप्रार्थी से छुड़ाई जाकर मुझे दिलाई जावे।

प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा, एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी ने अपने कथन शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया, शपथ पत्र में प्रार्थी ने स्वयं के खाते की अराजी ख.न. 89 की रकबा 0.54 हे.का II 4 साल के लिये पाँति पर करने के लिये देना बताया है।

P.T.O-2.

लेकिन अब अप्रार्थी (पॉलिसा) द्वारा पीठी भी नहीं दी जा रही तथा इस कर्ज भूमि का कब्जा भी नहीं छोड़ रहा है। जिससे प्रार्थी को नुकसान हो रहा है। तथा निवेदन किया है कि उक्त भूमि अप्रार्थी से मुक्त दिलाई जावे।

पटवारी हल्का से रेकार्ड व मौके की जाँच रिपोर्ट ली गई। रेकार्ड अनुसार ग्राम बीड़मंडी की ख.न. 89 रकबा 0.54 है. का.II खातेदार दुली चन्द पु० रामभुख जाति बैरवा निवासी आलनखेड़ी के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान मौके पर उक्त भूमि पर चौदमल पुत्र देवीलाल कुमावत नि. दुर्जनपुरा ने काश्त कर कब्जा कर रखा है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज/रेकार्ड नकलों का गहनता से अवलोकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के खाते की भूमि है। प्रार्थी अनु० जाति का सदस्य है। प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि पर अप्रार्थी ने अवैध रूप से काश्त की है। जो नियमानुसार प्रतिकूल नहीं है। तथा प्रार्थी को अपरिमित क्षति हो रही है। अतः अप्रार्थी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभि० लेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

तहसीलदार
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner